बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 699/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना।

विषय :- **जिलान्तर्गत सभी गैरसकरारी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का नि:शक्त छात्रों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-3, 16, 17, 18, 31 एवं धारा-40 के आलोक में सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैठक बुलाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्राय: ऐसी शिकायत मिलती है कि निजी विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जबकि प्राय: सभी विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि नि:शक्त छात्रों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-3, 16, 17, 18, 31 एवं धारा-40 के अनुपालन हेतु सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश एक बैठक बुलाकर एक माह के अन्दर दी जाय।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि जिलान्तर्गत सभी गैरसकरारी विद्यालय जिनकी मान्यता सर्वशिक्षा अभियान, सी0बी0एस0ई0 या आई0सी0एस0ई0 से प्राप्त हो, के प्रधानाध्यापकों की बैठक आहूत की जाय। तीनों कोटि के विद्यालयों की बैठक भिन्न-भिन्न तिथि निर्धारित करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि अधोहस्ताक्षरी भी उक्त बैठक में भाग ले सके।

विश्वासभाजन

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 699/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 699/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 699/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।